



HEAD-QUARTERS OFFICE
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
PANCHDEEP BHAWAN : C.I.G MARG: NEW DELHI
(ISO 9001:2008 CERTIFIED)
email: jd-admin2@esic.nic.in

No. F-16/15/2011-EVI

Dated : 25.2.2011

MEMORANDUM

SUBJECT: Revised Allotment of funds for the year 2010-11

After considering the proposals forwarded by the Regional Directors etc. and keeping in view the Revised Estimates for the year **2010-11**, additional demands received thereafter, actual expenditure incurred during the past years and economy instructions received from Ministry of Labour, the Revised Budget allotment for the year **2010-11** has been made and enclosed as per **Annexure**.

The funds to the extent indicated in the enclosed statement are placed at the disposal of Hqrs. Office, various Regions / Sub-Regions and Directorate (Medical) Delhi /Hospitals etc.. under concerned heads of accounts.

The Regional Directors etc. are requested to ensure that the expenditure under any head should not, in any case, exceed the revised budget allotment and should be regulated in accordance with the revised provisions as in the statement enclosed. In this connection, attention is however, invited to the provisions of Rule 23 of ESI (Central) Rules, 1950, which lays down that 'Benefits to Insured Persons' under the provisions of the Act, and the 'Pay and Allowances' of duly sanctioned posts shall not be withheld for want of sanctioned budget grant.

Encl : As above.

(SUNIL TANJEJA)
JOINT DIRECTOR

To

1. All Regional Director, Regional Office, ESI Corporation.
2. Addl. Commissioner, NTA, Dwarka, Delhi.
3. All Directors/ Jt. Directors(I/C), Sub Regional Office, ESI Corporation.
4. All Med. Supdt., ESI Hospital / ESI Model Hospital.
5. Dir (M) Delhi / Noida / FWP, Basaidarapur, New Delhi.
6. All Dy.Directors (Fin)
7. Dir. (F), Hqrs. office.
8. All Branches at Hqrs office.
9. Joint Director(Systems), Hqrs. for placing in the website.



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली
आई.एस.ओ.9001-2008 (क्यू.एम.एस.) द्वारा प्रमाणित

संख्या:एफ-16/15/2011-स्था.6

दिनांक: 25.2.2011


ज्ञापन

विषय: वर्ष 2010-11 के लिए निधियों का परिशोधित आबंटन ।

क्षेत्रीय निदेशकों आदि द्वारा अग्रेषित वर्ष 2010-11 के परिशोधित प्राक्कलनों संबंधी प्रस्तावों, उसके बाद प्राप्त अतिरिक्त मांगों, पिछले सालों के वास्तविक खर्चों और श्रम मंत्रालय द्वारा प्राप्त आर्थिक अनुदेशों पर विचार करते हुए बजट कक्ष द्वारा उपलब्ध की गई निधियों से वर्ष 2010-11 का परिशोधित बजट आबंटन किया गया ।

मुख्यालय, विभिन्न क्षेत्रों/ उप क्षेत्रों तथा निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली/मॉडल अस्पतालों को संबंधित शीर्षों के अंतर्गत आबंटित राशि संलग्न विवरणी में दर्शायी गई है ।

क्षेत्रीय निदेशकों आदि से निवेदन है कि वे यह सुनिश्चित करें कि संलग्न विवरण में परिशोधित प्रावधानों के अनुसार ही व्यय विनियमित किया जाए तथा किसी भी स्थिति में किसी भी शीर्ष के अंतर्गत परिशोधित आबंटन से अधिक खर्च न किया जाए । इस संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम-23 के उपबंधों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें अधिनियम के उपबंधों के अधीन बीमाकृत व्यक्तियों को हितलाभ की व्यवस्था है तथा विधिमान्य स्वीकृत पदों के वेतन तथा भत्ते स्वीकृत बजट अनुदान के कारण रोके नहीं जाएंगे ।


(सुनील तनेजा)
संयुक्त निदेशक

सेवा में,

1. सभी क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ।
2. अपर आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, द्वारका, दिल्ली ।
3. सभी निदेशक /संयुक्त निदेशक (प्रभारी) उप क्षेत्रीय कार्यालय ।
4. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.अस्पताल/ मॉडल अस्पताल ।
5. निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली/नोएडा/ निदेशक, परिवार कल्याण परियोजना, बसईदारापुर, नई दिल्ली ।
6. सभी उप निदेशक(वित्त) ।
7. निदेशक (वित्त), मुख्यालय ।
8. मुख्यालय की सभी शाखाएँ ।
9. स. निदेशक (प्रणाली), मुख्यालय - वेबसाइट पर प्रेषित हेतु